न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 1119/2012
आर.सी.एम.एस. :: 2012/00243

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर		1. टीला पुत्र सींगा के का.मु. 1/1 श्रीमती जमू पत्नी टीलसिंह 1/2 श्री मिठूसिंह पुत्र टीलसिंह 1/3 श्री हरीसिंह पुत्र टीलसिंह 1/4 श्री भानसिंह पुत्र टीलसिंह 1/5 श्री सोहनसिंह पुत्र टीलसिंह 1/6 श्री दूदसिंह पुत्र टीलसिंह जातिगण रावत निवासी पिपलिया बाडिया (पचानपुरा) तहसील रायपुर जिला पाली 1/7 केली पुत्री टीलसिंह पिपलिया बाडिया हाल निवासी काबलकलां तहसील रायपुर 1/8 खीमी पुत्री टीलसिंह पिपलिया बाडिया हाल निवासी खेता का बेरा किशनपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर 1/9 सुगना पुत्री टीलसिंह पिपलिया बाडिया हाल निवासी फतेहखेडा तहसील रायपुर जिला पाली 2. धुला पुत्र दरगा के का.मु. 2/1 पानीदेवी पत्नी धुला 2/2 फतेहसिंह पुत्र धुला जातिगण रावत निवासी पिपलिया बाडिया तहसील रायपुर जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी के ओर से सरकारी पैरोकार।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 व 1/9 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश मकवाना उपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 01.06.22

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 509 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 509/2 रकबा 3 बीघा किस्म बा.दो. का किस्म परिवर्तन कर नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/7, 2/1 व 2/2 बावजूद नोटिस तामील के आज अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस सरकारी पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6 व 1/8, 1/9 की सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा तहसील रायपुर जिला पाली के ख.न. 509 किस्म गै.मु. नदी में से खसरा नम्बर 509/2 रकबा 03 बीघा किस्म बा.दो. किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 06.05.1976 के द्वारा आवंटित की गई, जो वक्त आवंटन गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसकी पालना में अप्रार्थी टीला व धुला को जरिये नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 08.05.1976 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 16.05.1986 के द्वारा अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 08.05.1976 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 16.05.1986 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/6 व 1/8, 1/9 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी उनको नियमानुसार आवंटित हुई है तथा उनका उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। उक्त आराजी नदी के किनारे अवस्थित है, इससे नदी के बहाव क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 509 किस्म गै.मु. नदी से किस्म परिवर्तन कर ख.न. 509/2 रकबा 03 बीघा किस्म बा.दो. कर अप्रार्थी टीला व धुला को आवंटित की गई। जैर प्रार्थना पत्र आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थीगण को आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 06.05.1976 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 08.05.1976 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा अप्रार्थीगण को गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं जरिये ना.स. 341 दिनांक 16.05.1986 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004

अति. जिला कलेक्टर, पाली

से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 08.05.1976 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 16.05.1986 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी टीला व धुला निवासी पिपलिया बाडिया तहसील रायपुर जिला पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 06.05.1976 के द्वारा किया गया आवंटन एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 196 दिनांक 08.05.1976 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 341 दिनांक 16.05.1986 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी पुनः गैर मुमकीन नदी दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त कलेक्टर, पाली